प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 63 सन 2021

अनवान :–

1. **बल्लेसिह** पुत्र हनुमान जाति नायक निवासी ननाउ तहसील **नोहर जिला हनुमानगढ।**

प्रार्थी

बनाम

1. **राजस्थान** राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती **अन्तर्गत धारा** 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी **अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय दिनांक :–

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता **यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट** के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि **रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 492/483 की** कुल 0.7330है भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार **है।**

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के **कारण बलदेवसिह पुत्र हनुमान दर्ज हो** गया जबकि प्रार्थी का सही नाम बल्लेसिह है यही नाम **अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी** का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के **खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।**

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , **आम आदमी का आधार कार्ड परिवार** राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम बल्लेसिह दर्ज **है सहवन से** राजस्व **रिकार्ड में प्रार्थी** का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी **अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने** का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड **वाद भूमि में प्रार्थी का** नाम **संशोधन करने** के आदेश फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट **में पेश हुई हमने प्रार्थी को सुना पत्रावली** का अवलोकन किया रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या **492/483 की कुल 0.7330है भूमि प्रार्थी** का खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी का नाम बलदेवसिह दर्ज है। प्रार्थी का कथन **है कि उसका सही नाम बल्लेसिह है यही** नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , **आम आदमी** का आधार **कार्ड , परिवार राशन** कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम बल्लेसिह दर्ज है प्रार्थी के नाम के सम्बधमें **संरपंच ग्राम पंचायत** ननाउ भी तस्दीक पेश की गई है प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपच की तस्दीक **से वादी का नाम** बल्लेसिह होना प्रतीत होता है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई **नुकसान नही है बल्की** राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों सरपच की तस्दीक /शपथ पत्र के आधार पर **स्वीकार योग्य होने के** कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या **492/483 की कुल** 0.7330है भूमि में प्रार्थी का नाम बलदेवसिह दर्ज है के स्थान पर बल्लेसिह **उर्फ बलदेवसिह संशोधन** किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय **प्रार्थना पत्र उभयपक्ष** अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब **तकमील जाब्ता** दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के सगं अभियान–2021
कैम्प कोर्ट .ननाउ.

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/29 दिनांक :– 4/10/21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 63/2020 अनवानी **बल्लेसिह बनाम सरकार में** पारित निर्णय की पालना करवाने के **सम्बध मे।**

प्रंसग :– अनवान :–

1. बल्लेसिह पुत्र हनुमान जाति नायक **निवासी ननाउ तहसील** नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार **राजस्व नोहर जिला** हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत **दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में दिनांक 04.10.2021 **को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर** रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 492/483 **की कुल 0.7330है भूमि में प्रार्थी का नाम बलदेवसिह** दर्ज है के स्थान पर बल्लेसिह उर्फ **बलदेवसिह संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये** है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन **किया जाना सुनिश्चित करे।**

उपखण्ड अधिकारी **(राजस्व)**
नोहर **(हनुमानगढ)**
प्रशासन गांव के **सगं अभियान–2021**
कैम्प कोर्ट ननाउ

Scanned with CamScanner